

# कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा / माध्य / मा-स / 22497 / 2017

दिनांक: 12/11/2020

## :: परिपत्र ::

कोविड-19 के संकमण के महेनजर गत सत्र : 2019-20 में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक : 10.04.2020 एवं प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के आदेश क्रमांक : शिविरा / प्रारं / शैक्षिक / एवी / कवि / 19-20 दिनांक : 10.04.2020 के द्वारा कक्षा - 9 व 11 तथा कक्षा - 1 से 8 के कक्षा कमोन्नति प्रावधानों में केवल सत्र 2019-20 हेतु एकवारीय शिथिलन प्रदान किया जाकर विद्यार्थियों को विना वार्षिक परीक्षा के कमोन्नत किया गया था।

वर्तमान परिस्थितियों में वैशिक महामारी कोविड-19 की परिस्थितियों के दृष्टिगत रखते हुए कक्षा-1 से 8 के विद्यार्थियों को विद्यालय में आने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशांक : 40-3 / 2020-डीएम-1(ए), दिनांक : 30 सितम्बर, 2020 के अनुसरण में राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पत्रांक : प.33(2)गृह-9 / 2019, दिनांक : 30.09.20 के द्वारा कन्टेन्मेन्ट जोन्स के बाहर के विद्यालयों में कक्षा-9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अभिभावकों की स्वीकृति उपरान्त स्वैच्छिक रूप से विद्यालय जाकर अपने अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

कोविड-19 के संकमण को देखते हुए विद्यालय में नियमित शिक्षण की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। हमारे लिए यह चुनौती थी कि हम अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया को जारी रख कर विद्यार्थियों को जोड़ सकें। इसी क्रम में शिक्षा विभाग की ओर से एक नवीन पहल 'आओ घर में सीखें' आरम्भ की गई है। इसके तहत विद्यार्थियों से यह अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित माध्यमों से अपनी पढ़ाई को निरन्तर जारी रखें :-

1. ऑनलाईन प्लेटफार्म स्माईल-2.0 के तहत शिक्षा विभाग द्वारा व्हाट्सएप्प ग्रुप के माध्यम से पहुंचाए जा रहे विडियो को निरन्तर देखें एवं गृहकार्य को निरन्तर रूप से जारी रखें। इसके साथ ही यू-ट्यूब में जारी किए गए ई-कक्षा के वीडियो के माध्यम से भी अपना अध्ययन निरन्तर जारी रखें। शिक्षक इस हेतु अपने विद्यार्थियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करें।
2. सभी विद्यार्थियों तक पाठ्य पुस्तकों पहुंचाई जा चुकी हैं। अतः विद्यार्थियों से अपेक्षा रहेगी कि वे इनका अध्ययन भी साथ-साथ में करते रहें। पाठ्यक्रम का स्वाध्याय तथा उपर्युक्त प्रकार के ऑनलाईन माध्यम से अध्ययन करें, ताकि विषय के प्रति उनकी समझ में अच्छी बन सकें।
3. कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी पाठ्यक्रम, ई-कक्षा और स्माईल विडियो पर आधारित कार्य पुस्तिकाएं यथा-शीघ्र अपने विद्यालयों से प्राप्त करेंगे तथा उसे पूर्ण करके अपने कक्षा अध्यापक को जमा करवाएंगे।

उक्त के मद्देनजर राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के सत्रीय एवं सत्रांत मूल्यांकन की तैयारी हेतु निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मूल्यांकन-योजना पृथक से यथासमय जारी की जाएगी :-

- 1 स्माईल-2 कार्यक्रम के तहत प्रत्येक विद्यार्थी को गृहकार्य दिया जाकर उसका पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी के गृहकार्य व पोर्टफोलियो (पंजिका) के आधार पर उसके सीखने के प्रतिफलन का मूल्यांकन किया जाएगा। इस हेतु कक्षाध्यापक एवं विद्यार्थी परस्पर सम्पर्क कर गृहकार्य पूर्ण किया जाना एवं संस्थाप्रधान विद्यालय में विद्यार्थीवार पोर्टफोलियो संधारण किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 2 कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों के लिए कार्य-पुस्तिका तैयार करवाई जा रही है, जो सभी विद्यार्थियों तक आवश्यक रूप से फरवरी माह के अन्त तक पहुंचा दी जाएगी। पाठ्यक्रमानुसार तैयार अभ्यास पुस्तिकाओं को प्रत्येक विद्यार्थी को आवश्यक रूप से पूर्ण करना होगा। विद्यार्थी द्वारा भरी गई कार्य-पुस्तिका के आधार पर भी उसकी शैक्षिक लक्षि का आकलन किया जाएगा।

- 3 उपर्युक्त बिन्दु संख्या— 01 व 02 में निर्देशित मूल्यांकन बिन्दुओं के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी का परख/परीक्षा के माध्यम से भी मूल्यांकन किया जाकर कक्षा-क्रमोन्नति की जाएगी। ऐसे विद्यार्थी जो स्माईल, स्माईल-2, शिक्षावाणी तथा शिक्षादर्शन के माध्यम से अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, वे पाठ्यपुस्तकों से अपना अध्ययन जारी रखेंगे तथा उक्त प्रकार से मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे।
- 4 समर्त कक्षाओं के विद्यार्थियों से अपेक्षा रहेगी कि सत्र में कोविड-19 परिस्थितियों के कारण संक्षिप्त किए गए पाठ्यक्रम के अलावा छोड़े गए शेष अंशों का भी अध्ययन करें जिससे विषय के बारे में उन्हें पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकें। हालांकि छोड़े गए पाठ्यक्रम में से परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों का शैक्षणिक सत्र अन्य वर्षों के शैक्षणिक सत्र के अनुसार ही होना अनुमानित है। अतः वे अपना अध्ययन अध्यापन को गम्भीरता से लेते हुए पूर्ण करें।

दीपावली अवकाश के बाद शिक्षक विद्यालयों में नियमित रूप से उपलब्ध रहेंगे तथा विद्यार्थी फोन, मैसेज एवं व्यवित्तशः/अभिभावक के माध्यम से साप्ताहिक आधार पर कोविड एडवाइजरी की पूर्ण पालना करते हुए पूर्व में जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप मार्गदर्शन प्राप्त कर अपनी शंकाओं का निवारण आवश्यक रूप से करें।

संस्था प्रधान और शिक्षक अपने विद्यालयों के विद्यार्थियों से निरंतर सम्पर्क में रहकर उन्हें अध्ययन-अध्यापन के उपर्युक्त प्रकारों के साथ-साथ स्वाध्याय के लिए प्रेरित करेंगे। ब्लॉक, जिला और संभाग स्तरीय कार्यालयों में कार्यरत शिक्षाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विद्यालयों में प्रबोधन करते हुए उक्त की क्रियान्विति सुनिश्चित करेंगे।

*GB*  
(सौरभ श्वामी)

आई.ए.एस.  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/मा-स/22497/2017

दिनांक: 12/11/2020

प्रतिलिपि :निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
02. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान शिक्षा परिषद्, जयपुर।
03. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
04. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
05. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
06. समर्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को संभाग क्षेत्राधिकार में पालनार्थ।
07. समर्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षाको जिला क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
08. समर्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक/प्रारम्भिक को पालनार्थ।
09. समर्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा को ब्लॉक क्षेत्राधिकार में प्रभावी प्रबोधन हेतु।
10. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
13. रक्षित पत्रावली।

*GB*  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर